रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 1984/आषाढ़ 22, 1906
No. 328] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1984/ASADHA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1984

का. आ. 505(अ).—केन्द्रीय सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 30) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अगस्त, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 38/3/83-सी एल -5]

म. म. दूगड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 1984

S.O. 505(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Act, 1984 (30 of 1984), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 1984, as the date on which the said Act shall come into force.

[File No. 38|3|83-CL. V.]

S. M. DUGAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984